राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33/प्रयो0सहा0/सीधी भर्ती–2013/2017/ दिनांकः

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांकःई–33/प्रयो0 सहा0/सीधी भर्ती–2013/2016/515 दिनांक 27.04.16 के द्वारा अन्य अभ्यर्थियों के साथ श्री अशोक कुमार पुत्र श्री अमर सिंह को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर के अधीन किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 2900/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं रिट याचिका संख्या **13920/2015** श्री नरेन्द्र कुमार जोशी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.16 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 578/2016 प्रदीप सिंह बनाम राज सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 की पालना में पूरक परीक्षा में वास्तविक अंको को जोडने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की **वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार पुत्र श्री अमर सिंह अन्तिम कटऑफ से कम प्रतिशत होने के कारण प्रयोगशाला सहायक के पद पर सेवारत रहने के अयोग्य हो गये है।**

अतः एस.बी.सिविल अवमानना संख्या 817/2017 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16783/2016 हनुमान सिंहल व अन्य बनाम श्रीमति वीनू गुप्ता व अन्य में **पारित आदेश दिनांक 08.11.17 की पालना में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री अमर सिंह को उक्त वर्णित आदेश द्वारा प्रयोगशाला सहायक पद पर दी गई नियुक्ति को प्रत्याहारित करते हुये राज्य सेवा से तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है।**

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किये जा रहे है।

—sd—
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःई–33/प्रयो0सहा0/सीधी भर्ती–2013/2017/ 344 दिनांकः 17/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
5. उपनिदेशक(प्रशा0),मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी/समंवयक।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन–भरतपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
9. श्री अशोक कुमार, प्रयोगशाला सहायक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर।